



दी राजस्थान स्मॉल इण्डस्ट्रीज कॉरपोरेशन लि.

उद्योग भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302005

फोन : 0141-2227267 फैक्स : 0141-5115766

वेबसाइट : rajsico.gov.in, ई-मेल : rajsico@rajasthan.gov.in

CIN : U9110RJ1961SGC001118

नीलामी-सूचना

निगम में अनुपयोगी/नाकारा लोहे व लकड़ी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्प्यूटर उपकरण एवं सॉफ्टवेयर, लोहे की कुर्सी टेबल/अलमारी/ऑफिस चेयर, कुर्लर्स, टाटा स्काई सेटपबोक्स, प्लास्टिक का सामान इत्यादि जहां है जैसा है स्थिती में नीलाम किया जावेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा रूपये 2000/- जमा कराकर नीलामी में भाग लिया जा सकता है। नीलामी दिनांक 30.7.2014 को प्रातः 11.00 बजे निगम मुख्यालय में आयोजित की जावेगी। नीलामी की शर्तें हमारी Website पर देखे। निर्णय निगम के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबन्ध निदेशक

नीलामी की शर्तें

1. नीलाम किये जाने वाले अनुपयोगी /नाकारा सामान का निरीक्षण कार्यालय समय में स्टॉर में किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।
2. नीलामी की बोली लगाने से पूर्व निर्धारित अमानत राशि राशि 2000/- जमा करवानी होगी। अमानत राशि 10.00 बजे से 11.00 बजे तक जमा करवायी जा सकेगी। अमानत राशि 2000/- के अभाव में कोई भी व्यक्ति बोली लगाने का हकदार नहीं होगा।
3. राजसिको कर्मचारी भी अमानत राशि 2000/- जमा करा कर नीलामी में भाग ले सकता है। कोई भी अनुपयोगी /नाकारा सामान एक-एक कर के नीलाम नहीं किया जावेगा। नीलामी की बोली दो भागों में दो अलग- अलग बोली लगा की जावेगी।
 - 1.भाग-1 (लोहे व लकड़ी का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण , लोहे की कुर्सी टेबल/अलमारी/ओफिस चेयर,कूलर्स, टाटा स्काई सेटपबोक्स, प्लास्टिक का सामान इत्यादि)
 2. भाग-2(कम्प्यूटर उपकरण एवं सॉफ्टवेयर,) नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को इन समानों का निस्तारण राज्य सरकार की निस्तारण पॉलिसी को ध्यान में रख कर करेगा।
4. नीलामी समाप्ति पर अन्तिम बोलीदाता को बोली गयी कुल राशि की 100 प्रतिशत उसी समय जमा करवाना होगा अन्यथा अमानत राशि जब्त करली जावेगी। 100 प्रतिशत राशि राशि में अमानत राशि समायोजित की जा सकेगी।
5. नीलामी उपकरण उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति को नीलामी पश्चात दो दिवस में उठाना होगा ,नहीं उठाने पर 1000/- रूपये प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी चार्ज की जावेगी।
6. बोली बिना कोई कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।
7. द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की अमानत राशि प्रथम अधिकतम बोलीदाता के द्वारा 100 प्रतिशत राशि जमा करवा दिये जाने के उपरान्त ही लौटायी जावेगी। शेष बोलीदाताओं की अमानत राशि उसी दिन बोली समाप्ति के पश्चात् लौटा दी जावेगी।